

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 83/2019 (Bank Case)

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मोदी कॉलेज, कोटा जरिये प्राधिकृत अधिकारी
- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

1. श्री शिव प्रसाद पांचाल पुत्र श्री विरधीलाल पांचाल
मकान नं०-ए-425 आर.के.पुरम, कोटा जिला कोटा राज०
2. श्रीमति प्रियंका पांचाल पत्नि श्री शिव प्रसाद पांचाल
मकान नम्बर ए-425 आर.के. पुरम, कोटा जिला कोटा राज०

-(ऋणी)
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल
ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित



श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 09.07..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मोदी कॉलेज कोटा से अप्रार्थी ने दिनांक 27.8.2014 को 15,00,000/- (अक्षरः रुपये पन्द्रह लाख, मात्र) का आवासीय ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति मकान नम्बर ए-425 आर.के.पुरम कोटा में स्थित है । जिसका क्षेत्रफल बैंक में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार क्षेत्रफल 414.26 वर्गफीट है । जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.5.2013 से श्रीमति प्रियंका पांचाल पत्नि श्री शिव प्रसाद पांचाल के नाम है । को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 25.10.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 14,24,122.48 रु० (अक्षरः रुपये चौदह लाख, चौबीस हजार, एक सौ बाईस रुपये अड़तालिस पैसे मात्र) दिनांक 26.11.2018 तक शेष देय है व आगे की वक़ाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.11.2018 को नोटिस जारी किया गया, स्वयं अप्रार्थी द्वारा नोटिस दिनांक 29.11.2018 को प्राप्त के पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही सम्भलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा 'The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002' की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं करने प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.11.2018 को नोटिस जारी किया गया, स्वयं अप्रार्थी

द्वारा नोटिस दिनांक 29.11.2018 को प्राप्ति के पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.11.2018 को नोटिस जारी किया गया, स्वयं अप्रार्थी द्वारा नोटिस दिनांक 29.11.2018 को प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा 'The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002' की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की अचल सम्पत्ति मकान नम्बर ए-425 आर.के.पुरम कोटा में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल बैंक में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार क्षेत्रफल 414.26 वर्गफीट है। जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.5.2013 से श्रीमति प्रियंका पांचाल पत्नि श्री शिव प्रसाद पांचाल के नाम है। का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कथित जारी हो। सम्पत्ति के स्वागित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को सुनाया गया।



(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा